Dr.Uttam Kumar
SRAP College,Barachakia
Mob no-8210561032

Faculty -Commerce
Subject -Business Organisation
Class -2nd Semester
Session-2023-27

साझेदारी तथा एकाकी व्यापार में अन्तर
(DISTINCTION BETWEEN PARTNERSHIP AND SOLE TRADING)

क्रम संख्या (S.No.)	अन्तर का आधार (Basis of Difference)	साझेदारी (Partnership)	एकाकी व्यापार (Sole Trading)
1.	**सन्नियम का प्रचलन होना** (Application of Law)	साझेदारी में 'भारतीय साझेदारी अधिनियम, 1932' लागू होता है।	इसके लिए कोई पृथक् सन्नियम नहीं है।
2.	**सदस्यों की संख्या** (Number of Members)	साझेदारी में सदस्यों की न्यूनतम संख्या 2 तथा The Companies (Misc.) Rules, 2014 के अनुसार अधिक-से-अधिक 50 सदस्य हो सकते हैं।	इसमें एक से अधिक सदस्य नहीं हो सकते।
3.	**समझौता/अनुबन्ध** (Agreement)	साझेदारी में आपसी समझौता/अनुबन्ध होना परम आवश्यक है।	इसमें आपसी समझौता होने का प्रश्न ही नहीं उठता है।
4.	**गोपनीयता** (Secrecy)	साझेदारी में सदस्यों की संख्या अधिक होने के कारण व्यापारिक भेद अधिक गुप्त नहीं रह पाते।	इसमें पूर्ण गोपनीयता रहती है।
5.	**शीघ्र निर्णय** (Quick Decision)	साझेदारी में प्राय: सभी महत्वपूर्ण कार्य सर्वसम्मति से किये जाते हैं, अत: शीघ्र निर्णय का अभाव होता है।	इसमें एक ही व्यक्ति होने के कारण शीघ्र निर्णय तुरन्त लिया जा सकता है।
6.	**पूँजी** (Capital)	साझेदारी में सदस्यों की संख्या अधिक होने के कारण पूँजी की मात्रा अधिक होती है।	इसमें एक ही व्यक्ति होने के कारण पूँजी की मात्रा सीमित होती है।
7.	**क्षेत्र** (Scope)	साझेदारी का क्षेत्र विस्तृत होता है।	इसमें एक ही व्यक्ति होने के कारण क्षेत्र सीमित होता है।

8.	**सीमित दायित्व वाले व्यक्ति या अवयस्क का प्रवेश** (Entrance of Person of Limited Liability or Minor)	विशेष परिस्थितियों में सीमित दायित्व वाला व्यक्ति या अवयस्क भी व्यवसाय में प्रवेश कर सकता है।	इसमें सीमित दायित्व वाले व्यक्ति अथवा अवयस्क का प्रवेश पूर्णतया निषेध है।
9.	**पंजीयन** (Registration)	साझेदारी का पंजीयन (Registration) कराना आवश्यक है।	इसके पंजीयन कराने का प्रश्न ही नहीं उठता।
10.	**अनुपस्थिति में क्षति** (Loss in Absence)	इसमें किसी साझेदार की अनुपस्थिति में कार्य ठप्प नहीं होता।	इसमें कार्य-संचालन एकाकी व्यापारी की अनुपस्थिति में ठप्प पड़ जाता है।
11.	**लगन एवं परिश्रम से कार्य करने की भावना** (Spirit of Hard Work)	साझेदारी व्यवसाय में लगन तथा परिश्रम से कार्य करने की भावना कम होती है।	इसमें लगन तथा परिश्रम से कार्य करने की भावना अपेक्षाकृत अधिक होती है।

साझेदारी तथा संयुक्त हिन्दू परिवार व्यवसाय में अन्तर

(DISTINCTION BETWEEN PARTNERSHIP AND JOINT HINDU FAMILY BUSINESS)

साझेदारी तथा संयुक्त हिन्दू परिवार व्यवसाय में मुख्य अन्तर निम्न प्रकार हैं—

क्र. सं. (S.No.)	अन्तर का आधार (Basis of Difference)	साझेदारी (Partnership)	संयुक्त हिन्दू परिवार व्यवसाय (Joint Hindu Family Business)
1.	**सन्नियम का प्रचलन** (Application of Law)	साझेदारी में 'भारतीय साझेदारी अधिनियम, 1932' लागू होता है।	संयुक्त हिन्दू परिवार व्यवसाय में 'हिन्दू अधिनियम' (Hindu Law) लागू होता है।
2.	**समझौता/अनुबन्ध** (Agreement)	साझेदारी में परस्पर समझौता/अनुबन्ध होना परम आवश्यक है। यह लिखित अथवा मौखिक हो सकता है।	संयुक्त हिन्दू परिवार व्यवसाय में माता के गर्भ से बाहर आते ही अधिकार मिल जाता है। अतएव इसमें अनुबन्ध करने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।
3.	**आकस्मिक घटनाओं का प्रभाव** (Impact of Incidents)	किसी साझेदार की मृत्यु हो जाने अथवा पागलपन से साझेदारी का अन्त हो जाता है।	इस पर किसी सदस्य की मृत्यु या पागलपन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता।
4.	**स्त्री-पुरुष की सदस्यता** (Membership of Male-Female)	साझेदारी में स्त्री व पुरुष दोनों साझेदार हो सकते है।	केवल पुरुष ही सदस्य हो सकते है। हाँ, कुछ परिस्थितियों में स्त्रियाँ भी सदस्य हो सकती है।
5.	**पंजीयन** (Registration)	साझेदारी का पंजीयन कराना व्यावहारिक दृष्टि से आवश्यक हो जाता है।	इसके पंजीयन (Registration) की आवश्यकता नहीं होती है।
6.	**अवयस्क सदस्य** (Minor Member)	साझेदारी में अवयस्क को सदस्य नहीं बनाया जा सकता। हाँ, उसे फर्म के लाभों में शामिल किया जा सकता है।	इसमें अवयस्क सहभागी हो सकता है।
7.	**संचालन का अधिकार** (Right of Management)	साझेदारी में सब साझेदार संचालन में भाग ले सकते है (जब तक कि इसके विपरीत समझौते में कोई अन्य बात न हो।)	इसके केवल कर्ता को ही यह अधिकार प्राप्त होता है।
8.	**अनुबन्ध का अधिकार** (Right of Agreement)	साझेदारी में प्राय: प्रत्येक साझेदार को फर्म की ओर से अनुबन्ध करने का अधिकार होता है।	इसके केवल कर्ता को ही यह अधिकार प्राप्त होता है।
9.	**पारस्परिक सम्बन्ध** (Mutual Relationship)	साझेदारी में प्रत्येक साझेदार एक-दूसरे का एजेण्ट होता है। अतएव प्रत्येक साझेदार एक-दूसरे के कार्यों के लिए उत्तरदायी ठहराया जा सकता है।	इसमें केवल कर्ता ही अपने कार्यों से व्यवसाय के सभी सदस्यों को उत्तरदायी बना सकता है किन्तु दूसरे सदस्य अपने कार्यों से शेष सदस्यों को उत्तरदायी नहीं बना सकते।
10.	**दायित्व** (Liability)	साझेदारी में समस्त साझेदारों का दायित्व साधारणतया असीमित होता है।	इसमें कर्ता को छोड़कर शेष सभी सदस्यों का दायित्व सीमित होता है।

11.	**हिसाब की माँग करना** (Demand of Account)	साझेदारी में सम्बन्ध-विच्छेद करने पर कोई भी साझेदार साझेदारी का हिसाब माँग सकता है।	इसमें अलग होने पर कोई भी सदस्य पिछले हानि-लाभ का हिसाब माँगने का अधिकारी नहीं होता।
12.	**ऋण लेने का अधिकार** (Right to get Loan)	साझेदारी में व्यवसाय के लिए कोई भी साझेदार ऋण ले सकता है।	इसमें केवल कर्ता को ही यह अधिकार प्राप्त होता है।
13.	**ऋण के लिए उत्तरदायित्व** (Liability for Loan)	प्रत्येक साझेदार संयुक्त एवं पृथक् रूप से ऋण के लिए उत्तरदायी होता है।	इसमें केवल कर्ता ही ऋण के लिए उत्तरदायी होता है।
14.	**अनुबन्ध के अभाव में** (In Absence of Agreement)	यदि साझेदारों का आपस में कोई विशेष समझौता न हो तो प्रत्येक साझेदार का व्यवसाय की सम्पत्ति तथा लाभ में समान हित होगा।	इसमें हित घटता व बढ़ता रहता है।
15.	**उत्तराधिकारी के सम्बन्ध में** (In regard of Successor)	जब किसी साझेदार की मृत्यु हो जाती है तो उसके उत्तराधिकारी उसकी व्यवसाय में लगी हुई सम्पत्ति, प्रतिष्ठा में लाभ के अधिकारी होते हैं किन्तु उनको साझेदारी में स्थान मिलना आवश्यक नहीं है।	इसमें प्रत्येक उत्तराधिकारी को उसका सहभागी होने का अधिकार है।